2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
January - March | ISSN – 2584- 0517

पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता

डॉ सीताराम आठिया
स्वास्थ्य पर्यवेक्षक: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवरी जिला सागर, म प्र पिनकोड
संबद्ध:- डॉ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मप्र

सारांश:

आज सारे विश्व में पर्यावरण को लेकर चिंता है। डगमगाता पर्यावरण हमें आने वाले भयावह खतरे की चेतावनी दे रहा है। वनों की अंधाधुध कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, औद्योगिकीकरण और भूमिक्षरण से पूरी मानवता पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि दिनोंदिन जहरीले होते वायुमंडल से प्राणियों का अस्तित्व कब विलीन हो जाए और सारी पृथ्वी अपनी ही संतानों द्वारा उपजाई गई विभीषिका से कान्तिहीन होकर जार-जार रोती रहे। विकसित देश संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण पर्यावरण के प्रति ज्यादा सचेत है इसीलिए वहां पर्यावरण संरक्षण के निरंतर सार्थक उपाय किये जा रहे हैं। किंतु विकासशील देश दोहरी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक तो उन्हें विकास भी करना है और दूसरा उन्हें अपने पर्यावरण को भी बचाना है। दोनों काम एक साथ करते हैं, तो उन्हें संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि उन्हें दो में से किसी एक की बलि चढ़ानी पड़ती है। तात्पर्य यह है कि या तो वे विकास की ओर बढ़े या वे अपने पर्यावरण को उसके हाल पर छोड़ दें। जबकि आवश्यक यह है कि विकास के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ करना जरूरी ही हो तो पर्यावरण पुनः संतुलित करने के लिए वैकल्पिक एवं वैज्ञानिक उपाय भी साथ-साथ होने चाहिए। लेकिन विकासशील देशों में यह तस्वीर नहीं दिख रही है।

मुख्य शब्द:
पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता

प्रस्तावना

पर्यावरण संरक्षण के अध्ययन से पूर्व हमे पर्यावरण के बारे में मूलभूत जानकारी से अवगत होना उचित होगा। पर्यावरण शब्द दो शब्दो से मिलकर बना है। पहला शब्द परि जो हमारे चारों ओर है एवम दूसरा शब्द आवरण "आवरण"-जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो पर्यावरण मनुष्य के आसपास का वह भौतिक परिवेश है जिसका मनुष्य एक भाग है और वह अपने जैविक कार्यकलापों, भरण-पोषण और विकास के लिए उस पर निर्भर है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से लेकर ऊर्जा वाहक, मृदा और पेड़-पौधे, पशु और पारिस्थितिकी तंत्र आदि जैसे तत्व शामिल हैं। भौतिक पर्यावरण मनुष्य और समाज के कल्याण के बीच बहुआयामी संबंध है।

पर्यावरण संरक्षण का अर्थ पर्यावरण संरक्षण का अर्थ पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उसकी रक्षा करना और उसे बनाए रखना है। पर्यावरण संरक्षण व्यक्तियों, समूहों और सरकारों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की प्रथा है। इसका उद्देश्य

2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
January - March | ISSN – 2584- 0517

प्राकृतिक संसाधनों और मौजूदा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

(i) पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा विकास पर नियंत्रण।
(ii) भूमंडलीय तापन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना जैसे ग्लोबल वार्मिग आदि।
(iii) अतिविषम घटनाओं यानी प्राकृतिक खतरों और आपदाओं का प्रबंधन।
(iv) पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विकास।
(v) पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आवास संरक्षण आदि।

पर्यावरण संरक्षण का महत्व

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2021 में नियुक्त समिति ने भारत में पहली बार पेड़ों के मूल्यांकन पर दिशानिर्देश जारी किए है। विशेषज्ञों की पांच सदस्यीय समिति ने कहा कि एक पेड़ की कीमत उसकी उम्र 74,500 रुपये से गुणा की जाती है और 100 साल से अधिक की उम्र वाले एक विरासत पेड़ का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। इस लागत के पीछे भोजन, औषधीय संपत्ति, पक्षियों और जानवरों के लिए आश्रय, ऑक्सीजन, प्रदूषण को नियंत्रित करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, सूखा रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना, बारिश, ठंडी हवा एवम अन्य लाभ आदि प्रमुख कारण हैं। इस प्रकार हम बनो का महत्व समझ सकते है।

पर्यावरण संरक्षण के महत्व को निम्न बिंदुओ द्वारा भी समझा जा सकता है:-

1. पर्यावरण संरक्षण से वायु, जल और भूमि प्रदूषण कम होता है।
2. जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण का बहुत महत्व है।
3. सभी के सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है।
4. हमारे ग्रह को ग्लोबल वार्मिंग जैसे हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण भी महत्वपूर्ण है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986

पर्यावरण संरक्षणअधिनियम वर्ष 1986 में अधिनियमित किया गया था। इसे पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने और उससे जुड़े मामलों के मुख्य उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। भारत के मूल संविधान में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालाँकि, संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों में जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा को देश के नागरिकों के कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। ईपीए के अधिनियमन की जड़ें जून, 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन) में निहित हैं, जिसमें भारत ने मानव पर्यावरण के सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए भाग लिया था। यह अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को लागू करता है।

पर्यावरण संरक्षण और कानूनी प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद 48-ए में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार करने, देश के जंगलों और वन्य जीवन की रक्षा करने का प्रयास करेगा। स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद भारत ने कई अधिनियम लागू किए :

1. वन्यजीव अधिनियम 1972
2. जल अधिनियम 1974
3. वायु अधिनियम 1981

2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
January - March | ISSN – 2584- 0517

स्टॉकहोम घोषणा के पांच वर्षों के भीतर, पर्यावरण के संरक्षण और सुधार को संवैधानिक जनादेश के रूप में शामिल करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया। समय-समय पर पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार अब संविधान अधिनियम 1976 के तहत एक मौलिक कर्तव्य है। भारत सरकार ने पर्यावरण योजना और समन्वय पर एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की है।

पर्यावरण के लिए भारत सरकार के कार्यक्रम में गंगा और यमुना सहित नदियों की सफाई का कार्यक्रम शामिल था। प्रधान मंत्री, राजीव गांधी ने गंगा के प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का अधिनियमन इस कार्यक्रम का तत्काल परिणाम था।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संशोधन

मंत्रालय ने साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के खतरे को दूर करने के लिए ईपीए, 1986 के मौजूदा प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें "कम गंभीर" अपराधों के लिए सज़ा के रूप में जेल की सज़ा को हटाना शामिल है। हालाँकि ईपीए के गंभीर उल्लंघन जो गंभीर क्षति या जीवन की हानि का कारण बनते हैं, उन्हें भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत कवर किया जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण के प्रकार पर्यावरण संरक्षण चार प्रकार का होता है, जो इस प्रकार है : जलसंरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता।

1. **जल संरक्षण-**

जल संरक्षण अनावश्यक जल उपयोग को कम करने के लिए जल का सही तरीके से उपयोग करने की प्रथा है। फ्रेश वॉटर वॉच के अनुसार, जल संरक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि ताजा स्वच्छ पानी एक सीमित संसाधन है। पानी हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। जब भी पानी का उपयोग किया जाता है, तो आपके घर या व्यवसाय के अंदर और बाहर दोनों जगह संरक्षण की संभावना होती है। ताज़ा पानी एक सीमित संसाधन है, जो जल संरक्षण को पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनाता है। जनसंख्या वृद्धि, उद्योग के विस्तार, विकास गतिविधि के बढ़ते स्तर और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की संभावना के कारण प्रांत के जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। चाहे आप नगरपालिका या निजी घरेलू जल आपूर्ति पर हों, जल संरक्षण एक बुद्धिमान अभ्यास है।

2. **वन संरक्षण-**

वन संरक्षण, वन क्षेत्रों में रोपण और रखरखाव करने की प्रथा है। वन संरक्षण का उद्देश्य पेड़ों की प्रजातियों की संरचना और आयु वितरण में त्वरित बदलाव भी है। वन मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे विभिन्न प्रकार के संसाधन प्रदान करते हैं जैसे वे कार्बन का भंडारण करते हैं और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं।ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हे सही मायने में पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जल विज्ञान चक्र को विनियमित करने में मदद करते हैं। ग्रहीय जलवायु, पानी को शुद्ध करना, वन्य जीवन आवास प्रदान करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, प्रदूषण को कम करना, मिट्टी का संरक्षण करना, बाढ़ और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों को कम करना आदि।

3. **वन्य जीव संरक्षण-**

वन्य जीव संरक्षण, स्वस्थ वन्यजीव प्रजातियों या आबादी को बनाए रखने, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने, संरक्षित करने या बढ़ाने के लिए जंगली प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने की प्रथा से है। वन्य जीव संरक्षण की स्थापना के निम्नलिखित कारण है :

1. जानवरों को हमेशा उनके प्राकृतिक आवास से स्थानांतरित करना काफी कठिन होता है, इसलिए उन्हें

2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
January - March | ISSN – 2584- 0517

उनके प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित करना फायदेमंद होता है।

2. वन्य जीव संरक्षण में जीवविज्ञानी गतिविधियों और शोधों की अनुमति है, ताकि वे वहां रहने वाले जानवरों के बारे में जान सकें।

4. जैव विविधता-

जैव विविधता का मतलब वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए जैव विविधता की सुरक्षा, उत्थान और प्रबंधन से है। संसाधनों के सतत विकास को प्राप्त करने में जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन को जैव विविधता कहा जाता है।

जैव विविधता के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. प्रजातियों की विविधता का संरक्षण
2. प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता।
3. जीवन-समर्थक और आवश्यक पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखना।

प्रकृति ने पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से लेकर जैव विविधताओं की एक. व्यापक श्रृंखला तैयार की है एवं जैव विकास का एक अदभुत इतिहास रचा है। भारत की गणना विश्व के 12 विशाल जैविक विविधता वाले देशों में होती है। प्रकृति ने हमें लगभग 46000 वनस्पति प्रजातियों एवं 31000 के करीब जैव प्रजातियों की सम्पन्नता से हमें नवाजा है। किंतु अपनी स्वार्थ सिध्दि के लिए मानव न जाने कितने वन्य जीवों का बडी निर्ममता से वध करता आ रहा है। पृथ्वी पर मानव के बढ़ते एकछत्र राज्य की प्रवृत्ति के कारण जैव विविधताओं का संसार अब सिमटना जा रहा है तथा अनेक जीव दुर्लभ होते जा रहे हैं। सिमटते प्राकृतिक परिवेश, अवैध शिकार, तीव्र औद्योगिकीकरण खाल, मांस, हड्डी, दांत आदि की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के कारण वन्य प्राणियों के समक्ष अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है।

लुप्तप्राय वन्य जीवन

भारत के वन्य जीवन की विविधता बहुत कम देशों में ही दृष्टिगोचर होती है। यहां स्तनधारी जंतुओं की 350 प्रजातियां पाई जाती हैं। दो हजार किस्म के पक्षी लगभग 7 सौ किस्मों के रेंगने वाले सरीसृप वर्ग के जीव एवं करीब बीस हजार से भी अधिक प्रकार के भाँति-भाँति के कीट पतंग भारतीय वन जीवन की अमूल्य सम्पदा हैं। प्राकृतिक असंतुलन ने केवल स्तनपायी वर्ग के ही 350 में से 81 प्रजातियों को लुप्तप्राय कर दिया है।

अद्भुत क्षमता व असाधारण शक्ति वाले बिल्ली परिवार की सभी प्रजातियां पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। बिल्लियों के वर्ग के प्रमुख भारतीय सिंह (अँधेरा लियो पर्सिया), बाघ (पँधेरा टाइग्रिस) एवं तेंदुआ (पँधेरा पारडस) जो खाड़ी देशों से लेकर भारत एवं म्यांमार तक फैले हुए थे आज मात्र गिरनार (गुजरात) के क्षेत्रों तक सीमित हो चुके हैं। बाघ की आठ एशियाई उप-प्रजातियों में से केवल भारतीय बाघ ही बने हैं। वाली, जावा आदि मलय प्रजाति एवं कॅस्पियन, साइबेरियन, सुमात्रन तथा चीनी बाघों की पूरी प्रजाति ही समाप्त हो चुकी है। अति तेज गति के लिए प्रसिद्ध चीता अन्तिम बार 1952 में तमिलनाडु के तियूर के जंगलों में देखा गया था। तेंदुआ या गुलदार भारत के जंगलों में बहुतायत से पाया जाने वाला प्राणी है। तेंदुए की खाल के लोभियों ने पर्वतीय क्षेत्रों में 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले हिम तेंदुओं (स्नो लेपर्ड) को भी नहीं बख्शा है। स्थानीय भाषा में जिन्हें 'शान' कहा जाता है ये सफेद धब्बेदार हिम तेंदुओं की संख्या भी 200 के आसपास रह गई है।

असम, बंगाल के सुन्दरवन एवं उड़ीसा के चिल्का क्षेत्र में पाई जाने वाली भारतीय बिल्ली अपने सुन्दर फर के कारण मारी जाती है।. दूसरी सर्वाधिक संकट ग्रस्त मृग प्रजाति के जीव जिसमें बारहसिंगा हिरणों की विशेष प्रजाति स्वैप डियर भारत, पाकिस्तान, नेपाल एवं थाईलैंड में पाई जाती थी। यह पाकिस्तान एवं थाईलैंड से तो विलुप्त हो हो चुकी है भारत एवं नेपाल में भी

2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
January - March | ISSN – 2584- 0517

खतरे में है। इस परिवार का कस्तूरी मृग (मस्क डियर) अपनी सुगंधित कस्तूरी की वजह मारी जाता है।एवम परिवेश के बेरहमी से दोहन ही वन जीवन के नष्ट होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। पक्षियों में भारतीय गिद्ध पूरी तरह विलुप्तप्राय हो चुके हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के गिद्धों पर पहली बार बड़े पैमाने पर कीटनाशको का विनाशकारी प्रभाव प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। कीटनाशकों के प्रभाव से इनके अंडों के छिलके कमजोर होते हैं जो सेने के समय ही टूट जाते हैं। यही कारण है कि गिद्धों की वंशवृद्धि रुक सी गई है। पर्यावरण के सफाई कर्मी माने जाने वाले इन पक्षियों की स्थिति वास्तव में चिन्ताजनक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर अपने पंखों के कारण मारा जाता है तो हरियल जैसे पक्षी मांसों के कारण।

महा सागरीय जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा

पहले नदियां, घरेलू कचरे और मल-मूत्र को आसानी से पचा लेती थी और स्वयं शुद्ध और साफ रख पाती थीं परंतु इनकी मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाने तथा इनमें कारखानों के विषैले बहिस्त्राव तथा खेतों में छिड़के जाने वाले पीड़कनाशी और कीटनाशी तथा सीसा, पारा, कैडमियम, आर्सेनिक, जस्ता आदि धातुओं के मिल जाने के कारण नदियां इन्हें पचा नहीं पातीं और अंततः इन्हें सागर में फेंक देती हैं। इससे महासागर दिन-प्रतिदिन गंदे होते जा रहे हैं। ऐसी गंदगी और विषैले पदार्थों के साथ सागर को पेट्रोलियम और रेडियोधर्मी व्यर्थ पदार्थ भी पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं। ये सागर को अत्यधिक प्रदूषित कर रहे हैं जिससे न केवल समुद्री जीव- जंतुओं की स्थायी हानि हो रही है वरन् उनका भक्षण करने वाले मनुष्य भी अनेक असाध्य बीमारियों के शिकार होते रहते हैं और असमय बड़ी संख्या में उनकी मृत्यू होती रहती है। पिछले दो-तीन दशकों के दौरान विविध कारकों के फलस्वरूप न केवल प्रदूषकों की मात्रा बहुत बढ़ गई है वरन् उनकी विविधता और घातकता में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। महासागरो में 40% प्रदूषक नदियों आदि द्वारा बहाकर लाने, 30% सीधे फेंके जाने, 15% सागर में माल (पेट्रोलियम) परिवहन ,13% प्रदूषक वायु के साथ उड़कर सागर में पहुंचते हैं तथा 2 % सागर से खनिज तेल निकालते समय उनमें मिलते हैं।ये महासागरीय प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं ।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे नैतिक दायित्व

पर्यावरण की रक्षा करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, यह एक मौलिक कर्तव्य भी है, हम सभी में बदलाव लाने की शक्ति है और सरल कदम उठाकर हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

कुछ निम्नलिखित चरण छोटे एवम सरल हैं, किंतु है बहुत प्रभावी -

1. पेट्रोल डीजल की खपत रोकने एवम उससे होने वाले प्रदूषण को रोकने व्यक्तिगत कार की बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। पैदल चले, साइकिल चलाए।
2. एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें।
3. कम से कम एक प्राकृतिक उत्पाद का उपयोग करें।
4. बिजली बचाएं और ऊर्जा- कुशल प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करें।
5. जीव जंतुओं की हत्या रोकने हेतु मांस का सेवन कम करें।
6. समुद्री एवम जीव जंतुओं की जान बचाने हेतु सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से बचें।
7. अपने बचो को पर्यावरण के बारे में शिक्षित करें।
8. वनों की कटाई रोकी जानी चाहिए।
9. पराली ना जलाएं, कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करें, जैविक खेती को बढ़ावा दे
10. महा सागर में तेल रिसाव को रोकने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाए।तेल भक्षक जीवाणु की प्रजाति स्यूडोमोनास के उपयोग से।

2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
January - March | ISSN – 2584- 0517

11. नदियों द्वारा समुद्रों में लाया गया गाद प्रदूषण का बड़ा कारण है। उसका मुख्य कारण होता है, भूमि कटाव जिसे वन संरक्षण द्वारा रोका जा सकता है।
12. घरेलू और औद्योगिक कचरे को पुनः उपयोग पर बल देने की जरूरत है। जापान तथा अन्य विकसित देशों में इस कार्य को किया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बढ़ते कदम

पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यानों का सफर 1935 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना से हुआ। हिमालय की तराई में स्थित यह जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत में वन्य जीवन के संरक्षण हेतु 1952 में 'केंद्रीय सलाहकार समिति का गठन हुआ जिसे 'इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ' की संज्ञा दी गई। इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं तथा प्रकृति विशेषज्ञों तथा पर्यावरणविदों को इसका सदस्य बनाया जाता है।1972 में केंद्रीय वन्य जीवन रक्षा अधिनियम' बनाया गया जो वर्तमान में संपूर्ण देश में लागू है। इस अधिनियम में ऐसे 11 प्राणियों का उल्लेख किया गया, जो प्राकृतिक असंतुलन के कारण विलुप्त होने की स्थिति में थे।

भारत में इसी जागरूकता के कारण वन्य जीवन सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवम अभ्यारण्यों का निर्माण किया गया है। 1975 तक देश में मात्र पांच राष्ट्रीय उद्यान थे। जो आज लगभग 186 तथा अभयारण्यों की संख्या लगभग 480 पर पहुंच गए है। सभी राष्ट्रीय उद्यानों के विकास और उन्नत प्रबंध, वन्य जीवों के संरक्षण और गैर-कानूनी तरीके से जीवों के शिकार एवं वन्य जीवन उत्पादों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लागू है।

निष्कर्ष - मनुष्य अपने जीवन एवं सुख-साधनों की वृद्धि हेतु जिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है, वे सब पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक है। भूमि, जल, वायु, खनिज, वन्यजीव एवं वनस्पतियां, ऊर्जा तथा ताप एवं समस्त जैव एवं अजैव तत्व मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते है। विकसित देशों ने इन तत्वों को चरम सीमा तक प्रयोग किया है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता वाले कतिपय अल्पविकसित देशों ने अपने पर्यावरणीय संसाधनो का एक अंश ही विदोहन है। उल्लेखनीय है कि विश्व के देशों में कतिपय प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भी समान नहीं है। किसी देश में खनिजों के विपुल भण्डार है, तो कहीं जल संसाधन की प्रचुरता है। इन संसाधनों के बल पर ही इन देशों ने पर्याप्त प्रगति की है। जापान के 70 प्रतिशत वन तथा कनाडा के 46 प्रतिशत वन क्षेत्र ने इन देशों को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अरब देशों में उपलब्ध खनिज तेलों के विपुल भण्डार ने इन देशों का धनवान राष्ट्रों की श्रेणी खड़ा कर दिया है। इसी तरह दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदी तथा अफ्रीका की नील नदी ने अपने किनारे बसने वाले लोगों का समृद्धशाली बनाया है। विभिन्न देशों को समृद्धशाली बनाने वाले प्रकृति के निःशुल्क उपहार इन प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह उपयोग किए जाने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे तथा इसमें क्षरण अथवा विघटन की समस्या उत्पन्न ना हों। इस दृष्टि से पर्यावरण के विभिन्न अवयवों जैविक एवं अजैविक तत्वों की संरक्षा, सुरक्षा एवं संरक्षण की आवश्यकता है।

संदर्भ स्रोत

1. पर्यावरण संरक्षण में विधायिका की भूमिका, लेख श्रीमती लता श्रीवास्तव महासचिव लोकसभा सचिवालय
2. पर्यावरण संरक्षण में विधायिका की भूमिका लेख ए पी श्रीवास्तव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा
3. विलुप्तप्राय प्रजातियां भाग 1 लेख सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पत्रिका जुलाई 2004
4. महासागरीय प्रदूषण लेख सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पत्रिका दिसंबर 2005
5. पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन इकाई 6 लेख गूगल सर्च

2024 TPJ | VOLUME 2, ISSUE 1
January - March | ISSN – 2584- 0517

6. पर्यावरण संरक्षण मीडिया की भूमिका, लेख केशव पटेल
7. पर्यावरण संरक्षण जागरूकता में प्रिंट मीडिया की भूमिका लेख शिवकुमार, डॉ हरीश कुमार